

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

संख्या-05/आ०2-1060/2020- 1754

पटना, दिनांक:- 09/9/20

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव के गैर सरकारी प्रेषण सं०-340, दिनांक-29.06.2020 द्वारा श्री आनन्द कृष्ण सेवानिवृत्त भंडारपाल द्वारा पूर्ण प्रभार का हस्तान्तरण नहीं किए जाने एवं ₹9.95 लाख वसूलनीय होने के बावजूद इनके विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली नियम-43(बी) के तहत कार्यवाही किए बिना सेवान्त लाभ का भुगतान किए जाने का तथ्य प्रतिवेदित किया गया। अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर के पत्रांक-1271, दिनांक-27.08.2020 द्वारा श्री कृष्ण के सेवान्त लाभ के भुगतान के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया, जिसके अनुसार ग्रुप बीमा एवं छुट्टी लेखा का भुगतान मार्च, 2014 में तथा जी.पी.एफ. एवं औपबंधिक उपादान का भुगतान मई, 2014 में किया गया है।

02. श्री रंजीत कुमार, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम में कार्यपालक अभियंता के पद पर दिनांक-14.07.2014 से दिनांक-03.07.2017 तक पदस्थापित रहे हैं। सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सं०-03 भागलपुर के पत्रांक-206, दिनांक-05.08.2017 के अनुसार सेवानिवृत्त भंडारपाल से दिनांक-02.09.2016 को सामग्री प्राप्त की गयी तथा इसका मूल्यांकन दिनांक-05.08.2017 को किया गया। उक्त से स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा अपने पदस्थापन अवधि में न तो भंडार में रक्षित सामग्री का मिलान करवाया गया और न ही इस संबंध में कोई अपेक्षित कार्रवाई की गयी। उक्त से स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा प्रमंडलीय भंडार का नियमानुसार निरीक्षण नहीं किया गया, जो बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम-265 का उल्लंघन है।

03. श्री कुमार के पदस्थापन काल में ही दिनांक-02.09.2016 को आरोपित भंडारपाल से प्राप्त सामग्री की सूची प्राप्त हो चुकी थी, जिसके आधार पर short सामग्रियों का मूल्यांकन कर सेवानिवृत्त भंडारपाल के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत कार्रवाई की जा सकती थी, परन्तु ऐसा नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली हेतु भागलपुर समाहरणालय में निलाम पत्र वाद सं०-06/2020-21 दायर किया गया।

04. श्री रंजीत कुमार, तत० कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम सम्प्रति सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) एवं बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम-265 का उल्लंघन करने के आरोप में उनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुये विभागीय पत्रांक-1855 दिनांक-23.12.2021 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

05. विभागीय निदेश के आलोक में श्री कुमार के पत्रांक-शून्य, दिनांक-18.01.2022 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया। विभाग द्वारा श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी एवं समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि श्री आनन्द कृष्ण, सेवानिवृत्त भंडारपाल, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम से 9.95 लाख रुपये की राशि वसूलनीय रहने के बावजूद उक्त राशि की वसूली हेतु श्री कुमार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी और न ही श्री कृष्ण के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई ही की गयी। इसके अतिरिक्त श्री कुमार द्वारा श्री कृष्ण को सभी सेवांत लाभ का भुगतान भी कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि श्री कुमार के स्तर से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती गयी। फलतः श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

06. वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त बिहार के राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि श्री कुमार के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। एतदर्थ बिहार के राज्यपाल उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री रामचन्द्र पाण्डेय, मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

07. आरोपित पदाधिकारी श्री कुमार, संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जाँच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक अवधि के भीतर, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप के संबंध में अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

08. जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोप पत्र (अनुलग्नक सहित) के साथ जाँच संचालन पदाधिकारी श्री रामचन्द्र पाण्डेय, मुख्य अभियंता(अनुश्रवण)-सह-जाँच संचालन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम एवं आरोपित पदाधिकारी श्री रंजीत कुमार, ततः कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम सम्प्रति सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(अरविन्द कुमार)

अपर सचिव।

3

ज्ञापांक-05/आ०2-1060/2020- 1754

पटना, दिनांक- 09/9/26

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर/श्री रामचन्द्र पाण्डेय, मुख्य अभियंता(अनुश्रवण)-सह-जाँच संचालन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित(आरोप पत्र की प्रति अनुलग्नक सहित)।

(अरविन्द कुमार)

अपर सचिव।

ज्ञापांक-05/आ०2-1060/2020- 1754

पटना, दिनांक- 09/9/26

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरविन्द कुमार)

अपर सचिव।

ज्ञापांक-05/आ०2-1060/2020- 1754

पटना, दिनांक- 09/9/26

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1/श्री रंजीत कुमार, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता (असैनिक), पत्राचार पता-डॉ० आर०पी०रोड, वार्ड नं०-38, पोस्ट+थाना-भागलपुर, जिला-भागलपुर, पिन-812001 (ई-मेल-ranjitkr0208@gmail.com) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरविन्द कुमार)

अपर सचिव।

1/11/26